न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

(1) श्री रुपाराम पुत्र पन्नाजी, जाति– माली, निवासी– नई आबादी, गोल रोड, गली नम्बर 4, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही

(2) श्री रतनाराम पुत्र नवाजी, जाति– माली, निवासी– नई आबादी, गोल रोड, गली नम्बर 4, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्रीमती मिनाक्षी पत्नि श्री दिलीप कुमार, जाति– सुथार, निवासी– जावाल, तहसील व जिला– सिरोही

(2) सरपंच, ग्राम पंचायत, जावाल, जिला–सिरोही (वर्तमान में नगर पालिका, जावाल)

पंचायत निगरानी संख्याः 14/2021

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री अभिमन्यु सिंह, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, अप्रार्थी संख्या– 1 (मीनाक्षी) की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 25 जुलाई, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी श्रीमती मिनाक्षी पत्नि श्री दिलीप कुमार, जाति– सुथार, निवासी– जावाल के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट भूमि का रियायती दर पर आवंटन के जारी पट्टा संख्या 01 दिनांक 08.7.2020 (बुक संख्या 632 एवं मिसल संख्या 55/2020 दायर दिनांक 05.3.2020) को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–1 (मिनाक्षी) की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी मिनाक्षी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी संख्या–2 को नोटिस की तामिल होने के बाद भी ग्राम पंचायत, जावाल की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ व न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया।

(3) प्रकरण में दिनांक 17.5.2023 को बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीगण ग्राम जावाल के स्थायी निवासी है तथा ग्राम जावाल में ही गोल रोड़ पर रहते हैं। प्रार्थीगण का जहां आवासीय मकान है उसके पड़ोस में ही प्रार्थीगण के कब्जे स्वामित्व व आधिपत्य का भूखण्ड आया हुआ है, जिसके चतुर्दशी अनुसार उत्तर में रूपाराम पनाजी एवं रतनाराम नवाजी माली का मकान, दक्षिण दिशा में गोल रोड एवं दरवाजा, पश्चिम दिशा में पानी निकासी की नाली व पूर्व दिशा में रास्ता व दरवाजा है एवं इस भूखण्ड़ का नाप पूर्व–पश्चिम 20 फीट व उत्तर–दक्षिण दिशा में 60 फीट कुल 1200 वर्गफीट है। उक्त भूमि ग्राम पंचायत के अधीन है तथा प्रार्थीगण के कब्जे व आधिपत्य में उक्त भूमि आई हुई है जिस पर प्रार्थीगण ने मौके पर पर पत्थर, बालु मिट्टी व केलुपोश का झोपडा बनाया हुआ था। उक्त वर्णित भूखण्ड़ के उत्तर दिशा की ओर प्रार्थीगण का मकान दर्शाया हुआ है। उक्त [illegible] या व पडौस में होने के नाते प्रार्थीगण के अधिपत्य में लगभग 50–60 [illegible] है तथा अप्रार्थी संख्या– 2 ग्राम

......पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:11:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पंचायत, जावाल को भी दिनांक 30.10.2015 को छोगीदवी व शांतिदेवी जो कि प्रार्थीगण की धर्मपत्नी है उनके नाम से एक प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत, जावाल में पट्टा बनवाने हेतु दिया था जिसका आवेदन शुल्क रुपये 20/— भी ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करवाया था जिसकी रसीद क्रमांक 68 दिनांक 30.10.2015 है। उक्त भूखण्ड प्रार्थीगण के कब्जे आधिपत्य में है। जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा निरन्तर व निर्बाध रूप से ग्राम पंचायत, जावाल की जानकारी में चला आ रहा है। यह कि अप्रार्थी मिनाक्षी ने उक्त भूखण्ड को रियायती दर पर पट्टा ग्राम पंचायत जावाल को अन्धेरे में रखकर व तथ्यो को छुपाकर अपने नाम से बनवाया है। उक्त भूखण्ड़ गोल रोड गली नम्बर 4 पर आया हुआ है। अप्रार्थी मिनाक्षी द्वारा ग्राम पंचायत को दिये गये आवेदन पत्र में यह बताया है कि उक्त भूखण्ड़ पर उसका 50 वर्षो से अधिक का कब्जा है तथा मौके पर निर्माण कार्य भी किया हुआ है। जब पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा अप्रार्थी मिनाक्षी के आवेदन पर जांच करने की कार्यवाही की गई तो अप्रार्थी मीनाक्षी ने उसी गली में किसी अन्य व्यक्ति की जमीन को अपना बताया तथा उस पर निर्माण कार्य भी अपना बताया था। साथ ही, अप्रार्थी मिनाक्षी ने ग्राम पंचायत को दिये आवेदन पत्र में भी यह दर्शाया गया कि अप्रार्थीया या उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति के नाम से ग्राम पंचायत जावाल में जमीन नहीं हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी मिनाक्षी के पति दिलीप कुमार व उसके भाई के नाम से जावाल में दो मकान आबादी भूमि में बने हुए है। उक्त वर्णित पट्टा संख्या 01 जो ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी मिनाक्षी के पक्ष में जारी किया गया है उसमें अंकित शर्त संख्या 7 में यह स्पष्ट रुप से अंकन किया हुआ है कि आवंटन प्राधिकारी के पास भूमि के आवंटन को रद्द करने का अधिकार आरक्षित है। यदि आवंटी के द्वारा मिथ्या जानकारी दी जाती है या किसी अन्य व्यक्ति को भूखण्ड का अंतरण जाता है तो उक्त आवंटन को निरस्त करने का हक अधिकार प्राप्त होगा। अप्रार्थी मिनाक्षी ने भी तथ्यों को छुपाकर ग्राम पंचायत, जावाल से रियायती दर पर पट्टा प्राप्त किया है, जो निरस्त योग्य है। यह कि उक्त भूमि के उत्तर दिशा में प्रार्थीगण का मकान आया हुआ है। जब अप्रार्थीया प्रश्नगत पट्टे की आड में उक्त भूखण्ड पर एक ट्रोली पत्थर डाले, तब प्रार्थीगण रुपाराम व रतनाराम द्वारा विरोध किया गया तो प्रार्थीगण को जानकारी हुई कि उक्त भूखण्ड का अप्रार्थीया के नाम से ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा पट्टा जारी कर दिया है, तब प्रार्थीगण ने इसकी सूचना पंचायत को दी तो पंचायत के पदाकिारियों ने मौका देखा तो पंचायत के पदाधिकारियों की जानकारी में आया कि अप्रार्थीया ने गलत स्थान को अपने कब्जे का बताकर गलत तथ्यों के आधार पर ग्राम पंचायत, जावाल से राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत पट्टा प्राप्त कर लिया है। जिस पर ग्राम पंचायत ने पंचायत की बैठक दिनांक 12.1.2021 को बुलाकर पंचायत की बैठक दिनांक 12.1.2021 में पंचायत के सभी सदस्यगण ने उपस्थित होकर प्रस्ताव संख्या 5 पारित कर उक्त पट्टे को निरस्त करने का निर्णय पारित किया। पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा जब मौका देखा तो मौके पर उत्तर में प्रार्थीगण का सामान रखा हुआ था एवं पंचायत द्वारा उक्त पट्टे को निरस्त करने का निर्णय लेने के बाद प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी आवेदन उक्त पट्टे को निरस्त कराने हेतु पेश किया है। यह कि अप्रार्थी मिनाक्षी ने गलत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थीया का मिथ्या कब्जा होना बताकर पंचायत से पट्टा प्राप्त किया है, जबकि मौके पर भूखण्ड प्रार्थीगण के कब्जे आधिपत्य में था। ऐसी स्थिति में, प्रार्थीगण व अप्रार्थी मिनाक्षी के मध्य जब तक विवाद का निस्तारण नही हो जाता है, तब तक उक्त पट्टे को रद्द करवाने का हक अधिकार है। यह कि अप्रार्थी मिनाक्षी को जिस भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर जारी किया गया है, वह बेशकीमति भूखण्ड है जिसकी कीमत लाखों रुपये है। उक्त भूखण्ड प्रार्थीगण के मकान से लगता हुआ होने

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:11:59 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

एवं प्रार्थीगण के कब्जे में होने के कारण प्रार्थीगण उक्त भूखण्ड़ का ग्राम पंचायत, ज़ावाल से भू पट्टी/खांचा भूमि के रुप में बाजार दर पर पट्टा प्राप्त करने का हक अधिकार रखते है। यदि उक्त भूखण्ड़ का पट्टा प्रार्थीगण को बाजार दर पर जारी किया जाता तो ग्राम पंचायत, जावाल को लाखों रुपये की आय होती। यह कि ग्राम पंचायत, जावाल के तत्कालीन सरपंच व पदाधिकारियों द्वारा अप्रार्थी मिनाक्षी के पक्ष में पंचायत द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर पट्टा जारी करने की विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही को शिकायत करने पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही द्वारा अप्रार्थी मिनाक्षी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 01 के संबंध में जांच की गई। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही की जांच रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी मिनाक्षी के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत पात्रता की जांच किये बिना ही व गलत तथ्यों के आधार पर पट्टा संख्या 01 दिनांक 08.7.2020 बुक संख्या 632 मिसल संख्या 55/2020 दायर दिनांक 05.3.2020 क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट का जारी किया गया है विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही की जांच रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है क़ि उक्त भूखण्ड़ व्यवसायिक श्रेणी का होने व बेशकीमती होने से खुली नीलामी के द्वारा विक्रय किया जाना चाहिये था, लेकिन ग्राम पंचायत, जावाल ने व्यक्ति विशेष को आर्थिक लाभ पॅहुचाने की नियम से उक्त नियम 158 के तहत रियायती दर पर पट्टा जारी किया है। उक्त पट्टे के संबंध में तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, ज़ावाल तथा तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत, जावाल के विरुद्ध पुलिस थाना, बरलुट में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही द्वारा दर्ज करवाई गई है। ऐसी स्थिति में, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही की उक्त जांच रिपोर्ट के अस्तित्व में रहते विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही द्वारा इस न्यायालय को भेजी गई रिपोर्ट का कोई औचित्य ही नही है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन स्वीकार कर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी मिनाक्षी के पक्ष में रियायती दर पर जारी पट्टा संख्या 01 बुक संख्या 632 मिसल संख्या 55/2020 दायर दिनांक 05.3.2020 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी मिनाक्षी देवी के विद्वान अधिवक्ता ने अप्रार्थी मिनाक्षी के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित क़रते हुए बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रार्थीगण द्वारा निगरानी आवेदन में उल्लेखित चतुदर्शी व नाप का भूखण्ड गोल रोड, जावाल में अवश्य आया हुआ है परन्तु उक्त भूखण्ड पर काफी समय पूर्व से ही अप्रार्थी मिनाक्षी के ससुर का कब्जा होने के कारण व इस भूखण्ड का उपयोग अप्रार्थी मिनाक्षी व उसके परिवार के द्वारा किये जाने के कारण तत्कालीन ग्राम पंचायत जावाल द्वारा अप्रार्थी मिनाक्षी के नाम से पट्टा जारी किया है। इस भूखण्ड पर कभी भी प्रार्थीगण का कब्जा या उपयोग—उपभोग नहीं रहा है। प्रार्थीगण द्वारा निगरानी आवेदन में वही चतुदर्शी व नाप अंकित किया है जो अप्रार्थी मिनाक्षी के पट्टे में उल्लेखित है। जिस भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थी मिनाक्षी को पट्टा जारी किया गया है उस भूखण्ड़ पर कभी भी प्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं रहा और न ही उस पर प्रार्थीगण के पत्थर या अन्य कोई निर्माण कार्य किया हुआ है। यह सही है कि इस भूखण्ड के उत्तर दिशा में प्रार्थीगण का मकान है, परन्तु इस भूमि पर प्रार्थीगण का 50—60 वर्षो से कब्जा होने का कथन सर्वथा गलत है। हकीकत यह है कि प्रार्थीगण स्वयं ने उनकी पत्नियों के नाम से अप्रार्थी मिनाक्षी के भूखण्ड के उत्तर दिशा में दिनांक 14.9.2015 को श्री हरिशंकर पुत्र पुजाजी रावल से भूखण्ड खरीद किया था जिस पर वर्तमान में प्रार्थीगण के मकानात बने हुऐ है। ऐसी स्थिति में, जब अप्रार्थी मिनाक्षी के भूखण्ड के पास प्रार्थीगण का [illegible] 2015 के बाद से ही है तो प्रार्थीगण का उस भूखण्ड़ पर 50—60 वर्ष पुर[illegible] कब्[illegible] कैसे हो सकता है। उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड़ पर अप्रार्थी मिनाक्षी व उसके परिवार [illegible] कब्जा अधिकार रहा है।

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:11:59 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

प्रार्थीगण द्वारा उनकी पत्नियों के नाम से पट्टा बनवाने हेतु ग्राम पंचायत, जावाल में आवेदन प्रस्तुत कर देने से प्रार्थीगण को अप्रार्थी मिनाक्षी के पट्टेशुदा भूखण्ड़ पर कोई हक अधिकार उत्पन्न नही होते है। उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी मिनाक्षी का पुराना कब्जा होने एवं अप्रार्थी मिनाक्षी या उसके पति के नाम से ग्राम जावाल में कोई भूखण्ड नहीं होने के कारण एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 में वर्णित श्रेणी की अप्रार्थीया व्यक्ति होने से ग्राम पंचायत, जावाल से रियायती दर पर पट्टा प्राप्त करने की अधिकारी होने के कारण ही ग्राम पंचायत, जावाल ने अप्रार्थी मिनाक्षी के आवेदन पर नियमानुसार विहित प्रक्रिया का पालन कर अप्रार्थी मिनाक्षी के नाम से पट्टा जारी किया है। अप्रार्थीया सुथार जाति से संबंधित होने के कारण अन्य पिछडा वर्ग की सदस्य है और अप्रार्थीया के पति लकड़ी का कार्य करते है एवं उनके परिवार में अप्रार्थीया महिला मुखिया होने के नाते उसके नाम से नियमानुसार ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थीया तथा अप्रार्थीयां के ससुराल में केवल उसके ससुर छगनलाल के नाम से नसबंदी के समय तत्कालीन योजना में पट्टा जारी किया था जिसके वारिसान में अप्रार्थीया के पति के अलावा अन्य पुत्र-पुत्रीया हैं एवं वर्तमान में अप्रार्थीया के व उनके दूसरे पुत्र-पुत्रीया उसमें निवास करते हैं तथा इस भूखण्ड का पट्टा पंचायत द्वारा अप्रार्थीया को जारी किया गया है उस पर अप्रार्थीया व उसके पति का ही कब्जा होने के कारण तथा भूमिहीन होने के कारण राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड का आवंटन किया है। अन्यथा भी यदि अप्रार्थीया द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार के गलत तथ्य पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किये होते तो पंचायत स्वयं निगरानी आवेदन प्रस्तुत करती। अप्रार्थीया को ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विहित प्रक्रिया का पालन कर पट्टा जारी किया गया था, ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत को अप्रार्थया के पक्ष में जारी पट्टे की जानकारी नही होने का कथन माना जाने योग्य नही है। अप्रार्थीया को पट्टा जारी करने के बाद ग्राम पंचायत, जावाल में ग्राम विकास अधिकारी श्री फाऊलाल सुथार का पदस्थापन होने पर इस ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अप्रार्थीया से अनुचित लाभ प्राप्त करने की मांग की गई जिस पर अप्रार्थीया ने किसी भी प्रकार से अवैध कृत्य व अवैध लाभ ग्राम विकास अधिकारी को देने से मना किये जाने पर ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्यों को बहला फुसलाकर व डरा कर अवैध तरीके से प्रस्ताव दिनांक 12.01.2021 को लिखवाया, जबकि नियमानुसार ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किये जाने के पश्चात् ग्राम पंचायत उस पट्टे के संबंध में किसी भी प्रकार का पुनः प्रस्ताव लिये जाने के लिए कानूनन सक्षम नहीं है। जब अप्रार्थीया को ग्राम विकास अधिकारी व प्रार्थीगण की मिलीभगत होने की जानकारी हुई तथा अप्रार्थीया के भूखण्ड में दरवाजा खोले जाने की धमकी दिये जाने पर अप्रार्थीया ने तुरन्त दिनांक 13.1.2021 को एक विधिक नोटिस ग्राम पंचायत व विकास अधिकारी सिरोही को प्रेषित किया। अप्रार्थीया को ग्राम पंचायत के अवैध प्रस्ताव दिनांक 12.1.2021 की जानकारी होने पर अप्रार्थीया ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 की धारा के तहत एक अपील विकास अधिकारी, पंचायत समिति सिरोही के समक्ष प्रस्तुत की, परन्तु ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, जावाल ने पंचायत समिति, सिरोही में उक्त अपील का जवाब प्रस्तुत नही किया व अपील का निस्तारण होने नही दिया। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही द्वारा भी अपील का निस्तारण नही किया गया। यह कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी मिनाक्षी के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त कराने हेतु यह निगरानी आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद व अप्रार्थी मिनाक्षी द्वारा जरिये अधिवक्ता विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही ... के बाद विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही ने इस निगरानी ... निर्णय को प्रभावित करने के उद्देश्य से प्रश्नगत पट्टे ... न्यायालय के समक्ष जब

.....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:11:59 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

प्रश्नगत पट्टे के संबंध में निगरानी आवेदन प्रस्तुत हो गया था तो उसके बाद विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही को प्रश्नगत पट्टे के संबंध में जांच करने का कानूनन कोई अधिकार नही था। ऐसी स्थिति में, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही की जांच रिपोर्ट विधि में मान्य नही है। न्यायालय के समक्ष कोई प्रकरण विचारण हेतु प्रस्तुत होने के बाद न्यायालय के आदेश के बिना कोई जांच या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की जा सकती है। यह कि उपखण्ड अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांकःसतर्कता/जांच/2022/175 दिनांक 22.3.2022 के द्वारा जिला कलेक्टर (सतर्कता), सिरोही को उनके पत्र क्रमांकःसर्तकता/33(14)() बैठक/2021/185 दिनांक 13.12.2021 के सन्दर्भ में ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा दिनांक 01.1.2020 के बाद जारी सभी पट्टो की जांच की जाकर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उसमें ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी मिनाक्षी के पक्ष में जारी पट्टे का कोई उल्लेख नही है अर्थात् उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही ने अप्रार्थी मिनाक्षी के पक्ष में जारी पट्टे को नियमानुसार जारी होना माना है। यह कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांकःएफ.4()पट्टा आवं/विधि/पंरा/2017/266 दिनांक 05.4.2017 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पुराने गृहों के विनियमितिकरण एवं कमजोर वर्ग को भूमियों के आवंटन हेतु पट्टे जारी करने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है। अतः इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत पुराने गृहों के विनियमितिकरण एवं नियम 158 के अर्न्तगत आवंटन एवं पट्टा जारी किये जाने बाबत ग्राम पंचायत द्वारा संकल्प पारित किया जाकर आवंटन/पट्टा जारी करने की कार्यवाही जा सकती है। नियम 157 व 158 के तहत आवंटन व पट्टा जारी करने के लिये, नियम 145 से 156 में वर्णित प्रक्रियात्मक प्रावधान जो कि नीलामी द्वारा आवंटन किये जाने संबंध में प्रावधान है, की पालना की जाना अपेक्षित/आवश्यक नही है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी मिनाक्षी पत्नि श्री दिलीप कुमार, निवासी– जावाल के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत नियम 158 के तहत क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट भूखण्ड का रियायती दर पर आवंटन का पट्टा संख्या 01 दिनांक 08.7.2020 (बुक संख्या 632 मिसल संख्या 55/2020 दायर दिनांक 05.3.2020) को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के अनुसार पंचायत, गांव आबादियों में 300 वर्गगज अर्थात् 2700 वर्गफीट तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गो के सदस्यों को, गांव के कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों जिनके पास स्वयं के गृह स्थल या गृह नही है और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये है या गृह स्थल बाढ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है को रियायती दर पर आवंटित कर सकेगी। इससे यह स्पष्ट है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के अर्न्तगत ग्राम पंचायत द्वारा उक्त श्रेणी के व्यक्तियों/परिवारों को जिनके पास स्वयं के गृह स्थल या गृह नही है को रियायती दंर पर भूखण्ड़ का आवंटन किया जा सकता है।

पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] के अवलोकन से यह पाया गया कि अप्रार्थी श्रीमती मीनाक्षी पत्नि दिलीप [illegible] जावाल ने ग्राम पंचायत, जावाल में रियायती दर पर [illegible] प्रस्तुत किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:11:59 IST
Reason: SelfAttested

....पेज छः पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

गया। जिस पर ग्राम पंचायत, जावाल की बैठक में प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.3.2020 को पारित कर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा मिसल संख्या 55 दिनांक 05.3.2020 को दायर की गई एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त प्रावधानों अनुसार कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी मीनाक्षी को रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 11 दिनांक 24.6.2020 के द्वारा निर्णय लिया जाकर अप्रार्थी मिनाक्षी के पक्ष में पट्टा संख्या 01 दिनांक 08.7.2020 को जारी किया गया है।

प्रार्थी पक्ष ने बहस के दौरान यह कथन किया है कि "ग्राम पंचायत, जावाल के तत्कालीन सरपंच व पदाधिकारियों द्वारा अप्रार्थी मिनाक्षी के पक्ष में पंचायत द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर पट्टा जारी करने की विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही को शिकायत प्रस्तुत करने पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही द्वारा अप्रार्थी मिनाक्षी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 01 के संबंध में जांच की गई। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही की जांच रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी मिनाक्षी के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत पात्रता की जांच किये बिना ही व गलत तथ्यों के आधार पर पट्टा संख्या 01 दिनांक 08.7.2020 बुक संख्या 632 मिसल संख्या 55/2020 दायर दिनांक 05.3.2020 क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट का जारी किया गया है विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही की जांच रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि उक्त भूखण्ड व्यवसायिक् श्रेणी का होने व बेशकीमती होने से खुली नीलामी के द्वारा विक्रय किया जाना चाहिये था, लेकिन ग्राम पंचायत, जावाल ने व्यक्ति विशेष को आर्थिक लाभ पँहुचाने की नियम से उक्त नियम 158 के तहत रियायती दर पर पट्टा जारी किया है।" जबकि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही ने अप्रार्थी मिनाक्षी के पक्ष में रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन के जारी उक्त पट्टा संख्या 01 दिनांक 08.7.2020 को निरस्त कराने हेतु इस न्यायालय में कोई निगरानी आवेदन प्रस्तुत नही किया एवं न ही इस निगरानी प्रकरण में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही द्वारा पक्षकार बनने हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत किया।

प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही से मौके की रिपोर्ट तलब किये जाने पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही के पत्र क्रमांकःपंससि/2023/438 दिनांक 14.6.2023 के द्वारा इस न्यायालय को प्रेषित रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि पट्टे की चतुर्दशी एवं माप के अनुसार मौके पर भूखण्ड स्थित है। उत्तर दिशा में मौके पर रुपाराम पुत्र पनाजी एवं रतना पुत्र नवाजी माली, निवासी– जावाल का पक्का परकोटायुक्त निर्माण है एवं उससे आगे लाईन में अर्जुन पुत्र पूजाजी जाति रावल का आवासीय मकान तथा आगे भी क्रमबद्ध आवासीय मकान स्थित है। दक्षिण दिशा में जावाल–गोल सडक मार्ग है। पूर्व दिशा में रास्ता 20 फीट मौके पर स्थित है एवं उससे सामने की लाईन में आवासीय मकान क्रमबद्ध रुप से बने हुए है, जो कि छगनलाल पुत्र कस्तूरजी सुथार का मकान एवं अन्य आवासीय मकान मौके पर है। पश्चिम दिशा में पानी निकासी गली मौके पर स्थित है, उक्त गली के पश्चिम दिशा में बाबुलाल पुत्र प्रेमाजी का मकान एवं रमण पुत्र होलाजी माली का मकान स्थित है। प्रकरण में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही के पत्र क्रमांकःपंससि/पंचायत/2023/457 दिनांक 28.6.2023 के द्वारा इस न्यायालय को प्रेषित रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि ग्रामवासी जावाल द्वारा दिनांक 15.1.2021 एवं निगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा दिनांक 01.12.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों में श्रीमती मीनाक्षी सुथार को तत्कालीन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा आवंटित भूखण्ड को आवासीय भूखण्ड बताया गया है। विकास अधिकारी, [illegible] सिरोही की उक्त रिपोर्ट दिनांक 28.6.2023 में यह भी अंकित किया [illegible] "तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही द्वारा [illegible] मीनाक्षी सुथार

.....पेज सात पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:11:59 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

को व्यावसायिक श्रेणी का होना बताया गया है, परन्तु उक्त जांच रिपोर्ट में श्रीमती मीनाक्षी सुथार को आवंटित आवासीय भूखण्ड़ व्यावसायिक श्रेणी का बताने बाबत कोई दस्तावेज / साक्ष्य का उल्लेख नही किया गया है। ऐसे में तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही द्वारा बिना युक्तियुक्त आधार के आवासीय भूखण्ड़ को व्यावसायिक्र श्रेणी का बताया गया है।''

चूंकि प्रार्थी पक्ष ने ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थी मीनाक्षी के पास या उसके परिवार के सदस्यों के पास पूर्व से स्वयं का कोई आवासीय मकान या आवासीय भूखण्ड़ उपलब्ध हो। प्रार्थी पक्ष ने ऐसी भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थी मीनाक्षी भूमिहीन व्यक्ति नही होकर साधन सम्पन्न व्यक्ति हो। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी मिनाक्षी अन्य पिछडा वर्ग की सदस्य है एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 में वर्णित श्रेणी की व्यक्ति है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी मीनाक्षी रियायती दर पर भूखण्ड़ पाने की पात्रता रखती है तथा ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी मीनाक्षी के आवेदन पर विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए रियायती दर पर भूखण्ड़ का आवंटन करने का निर्णय पारित कर पट्टा जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

25/7/23
(के.आर.खौड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:11:59 IST
Reason: SelfAttested